

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक /8907/ एफ-07-01 / रा.यो. / 2014 / 14-2

रायपुर, दिनांक 26/12/2014

प्रति,

1. संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर।
2. कलेक्टर, जिला(सर्व)।
3. संयुक्त संचालक कृषि, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/सरगुजा।
4. उप संचालक कृषि, जिला(सर्व)।
5. कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री, ...

विषय: राज्य योजनान्तर्गत पैडी ट्रांसप्लान्टर मशीन से कृषकों के खेत में धान रोपाई पर अनुदान दिये जाने संबंधी मार्गदर्शी निर्देश।

—00—

प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र में छिटका (ब्राड कास्टिंग) पद्धति से धान की बुआई की जाती है। इस पद्धति में बीज की खपत ज्यादा तथा निंदाई, गुड़ाई, कटाई आदि में कठिनाई होती है। वर्तमान में लगभग 20% क्षेत्र में ही मजदूरों से धान रोपाई की जाती है। कृषि कार्य हेतु श्रमिकों की लगातार कमी हो रही है। अतएव इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये पैडी ट्रांसप्लान्टर मशीन से धान की रोपाई पद्धति को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इससे कृषि श्रमिकों की समस्या से निपटने के साथ-साथ बीज की बचत, निंदाई, गुड़ाई, कटाई आदि में सुगमता होगी।

1 योजना :- पैडी ट्रांसप्लान्टर मशीन से धान रोपाई पर अनुदान

2 उद्देश्य :-

1. प्रदेश में उन्नत तकनीक से धान रोपाई को प्रोत्साहित करना तथा रोपाई के रकबे में वृद्धि।
2. कृषि श्रमिकों की समस्या से निदान।
3. बीज की बचत, निंदाई, गुड़ाई, कटाई आदि में सुगमता।
4. उत्पादन में वृद्धि।

3 कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण राज्य

4 हितग्राही का चयन :- मशीन से धान की रोपाई हेतु निर्धारित लक्ष्य अनुसार क्लस्टर के रूप में कृषकों का चयन किया जावे। एक क्लस्टर न्यूनतम 4 हेक्टेयर का होगा। क्लस्टर प्राथमिकता के आधार पर सड़क किनारे हो, जिससे प्रदर्शन संगोष्ठी आदि में सुगमता हो। अन्य विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन स्थल पर भी कृषकों का चयन किया सकता है, जिससे अन्य पद्धति से की जा रही धान की खेती की तुलना स्वतः हो सके। योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषकों को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रत्येक क्लस्टर में न्यूनतम 50 प्रतिशत क्षेत्र लघु सीमांत कृषकों का चयन किया जावे। इसके अतिरिक्त योजना क्रियान्वयन के समय आबंटन तथा लक्ष्यों के जरिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को भी यथोचित लाभ दिया जाना उपयुक्त होगा।

5 अनुदान की पात्रता:- राज्य में कृषकों को 2 हेक्टेयर सीमा तक उपयुक्त भूमि की तैयारी (जुताई, मताई) मैट टाईप नर्सरी तैयार करने तथा पैडी ट्रांसप्लान्टर मशीन से धान की रोपाई पर ₹ 3,000/- प्रति एकड़ की दर से अनुदान दिया जावेगा।

५

6 योजना का क्रियान्वयन :-

- (i) संभागीय कृषि यंत्री द्वारा पैडी ट्रांसप्लाटर के निर्माता/प्रदायकों/उद्यमियों अथवा स्वतः कृषक (सर्विस प्रोवाइडर) से मशीन उपलब्ध कराने हेतु चयनित कृषकों के यहां धान रोपाई हेतु समन्वय किया जावेगा।
- (ii) कृषक जिस किसी निर्माता/प्रदायक/उद्यमी से किराये पर ट्रांसप्लाटर लेना चाहे उसी से स्वेच्छानुसार लेने या न लेने के लिये स्वतंत्र होगा।
- (iii) कृषि यंत्री द्वारा कृषकों को पैडी ट्रांसप्लाटर से धान रोपाई का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा, जिसमें निर्माता/प्रदायक/उद्यमियों का प्रतिनिधित्व रखा जावे।
- (iv) प्रशिक्षण के दौरान ही मेट टाईप नर्सरी की तैयारी हेतु स्थान एवं रोपाई की जाने वाली धान की किस्म की अग्रिम बुकिंग की जावेगी। आवश्यकतानुसार बीज की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वतः की जावेगी।
- (v) भूमि की तैयारी हेतु ट्रैक्टर एवं आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था धान की रोपाई कराने वाले कृषक की होगी।
- (vi) खेत की तैयारी व धान रोपाई कार्य का संतुष्टि प्रमाण-पत्र संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरांत भुगतान हेतु कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री को प्रेषित किये जायेंगे।
- (vii) संतुष्टि प्रमाण पत्र के आधार पर योजना में प्रावधान एवं पात्रता के आधार पर अनुदान राशि का भुगतान कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री द्वारा चेक/ड्रफ्ट के बजाय सीधे हितग्राही के बैंक खाते में अंतरण द्वारा किया जायेगा।

7 निरीक्षण एवं अनुश्रवण :-

- (i) वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में कृषकों का चयन कर प्रकरण तैयार कर निर्धारित समयावधि में अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री को प्रेषित कर जिले के उप संचालक, कृषि को सूचित करेंगे। धान रोपाई का कार्य अत्यंत सीमित कार्यावधि का होने के कारण अग्रिम में पंचायत का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा परन्तु कार्य उपरांत पंचायत को सूचित किया जाना आवश्यक होगा।
- (ii) संबंधित कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री कार्यालय द्वारा प्रथम आवें प्रथम पावें के आधार पर पंजीयन कर कार्य कराया जावेगा।
- (iii) भौतिक सत्यापन :- कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री-25%, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी द्वारा 100% किया जावेगा।

8. योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा :- जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उप संचालक कृषि तथा कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री द्वारा की जावेगी।

9 व्यय शीर्ष :- उपरोक्त योजना में होने वाला व्यय निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगा :-

- (1) मांग संख्या 13- 2401-कृषि कार्य, 113-कृषि इंजीनियरी, 8974-राज्य पोषित पैडी ट्रांसप्लाटर से धान रोपाई के प्रदर्शन की योजना, #13-आर्थिक सहायता, 001-प्रत्यक्ष सहायता
- (2) मांग संख्या 41- 2401-कृषि कार्य, 113-कृषि इंजीनियरी, 8974-राज्य पोषित पैडी ट्रांसप्लाटर से धान रोपाई के प्रदर्शन की योजना, #13-आर्थिक सहायता, 001-प्रत्यक्ष सहायता

- (3) मांग संख्या 84- 2401-कृषि कार्य, 113-कृषि इंजीनियरी, 8974-राज्य पोषित पैडी ट्रांसप्लान्टर से धान रोपाई के प्रदर्शन की योजना, #13-आर्थिक सहायता, 001-प्रत्यक्ष सहायता

10. योजना के दिशा-निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के कम्प्युटर क. एफ=2014-14-00311 दिनांक 22.12.2014 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

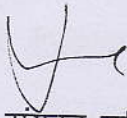
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

 (22/12/14)
(प्रदीप कुमार दवे)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग
रायपुर, दिनांक 26/12/2014

पृष्ठां. क्र./8308/एफ-07-02/रा.यो./2014/14-2
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुधन विकास, मछलीपालन, जल संसाधन, आयाकट, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पटल।

 25/12/14
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

पैडी ट्रांसप्लान्टर मशीन से धान रोपाई पर अनुदान योजनान्तर्गत कार्य हेतु

आवेदन पत्र

प्रति,

कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री,
.....

द्वारा :- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड.....जिला.....

1. आवेदक का नाम :- जाति.....
2. निवास स्थान :-
3. तहसील एवं जिला :-
4. उस भूमि की जानकारी जहाँ मशीन चाहिये ग्राम विकासखंड.....
तहसील.....जिला.....पटवारी हल्का नं.....खसरा
नं.....जमीन का कुल रकबा
5. योजनान्तर्गत धान रोपाई का प्रस्तावित रकबा एकड़ एवं धान रोपाई की किस्म
6. अनुदान भुगतान हेतु बैंक एवं शाखा का नाम एवं खाता
क्रमांक.....

कार्य कराने संबंधी विभागीय योजना की जानकारी मुझे है, जिसका मैं पूर्ण रूप से
पालन करूंगा।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

कृषक का नाम
विकासखंड.....
पूर्ण पता
मोबाइल नं.

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की अनुसंशा

उपरोक्त विवरण का सत्यापन मेरे द्वारा कर लिया गया है एवं कार्य की अनुसंशा की जाती है।

दिनांक

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ग्रा.कृ.वि.अधिकारी

विकासखंड.....
जिला

५

पैडी ट्रांसप्लान्टर मशीन से धान रोपाई पर अनुदान योजनान्तर्गत संतुष्टि प्रमाण-पत्र

मैं.....पिता/पति.....
ग्राम.....विकासखंड.....तहसील.....
जिला.....छत्तीसगढ़ यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने कृषि विभाग की योजनान्तर्गत
धान की रोपाई का कार्य श्री/मेसर्स.....
(सर्विस प्रोवाइडर का नाम) दिनांक.....को पैडी ट्रांसप्लान्टर से
एकड़ में कराया है। किये गये कार्य से मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। योजनान्तर्गत भूमि की तैयारी से
लेकर धान की रोपाई तक देय अनुदान राशि (@ रु 3000/- प्रति एकड़) रु.....
मेरे बैंक खाता क्रमांक में जमा किये जाने पर मैं अपनी सहमति
प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर

कृषक का नाम

विकासखंड.....

पूर्ण पता

भौतिक सत्यापन

उपरोक्त विवरण अनुसार एकड़ में पैडी ट्रांसप्लान्टर से धान रोपाई का कार्य
सत्यापित किया जाता है। तदनुसार योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि रु.
(शब्दों में.....) कृषक के खाते में जमा किये जाने की अनुशंसा
की जाती है।

हस्ताक्षर व सील

वरिष्ठ कृषि अधिकारी/ग्रा.कृ.वि.अधिकारी



पैडी ट्रांसप्लांटर द्वारा धान रोपाई पर प्रति हेक्टेयर अनुमानित व्यय:-

(अ) खेत की तैयारी प्रति हेक्टेयर व्यय:-		पैडी ट्रांसप्लांटर द्वारा धान रोपाई पर व्यय (रु. में)	रिमार्क
i	फील्ड की जुताई 5 घंटे (@700/-प्रति घंटा)	3500.00	
ii	फील्ड की मताई 6 घंटे (रोटावेटर सहित) (@700/-प्रति घंटा)	4200.00	

(अ) रोपाई की तैयारी प्रति हेक्टेयर व्यय:-			नर्सरी हेतु मिट्टी, खाद, रेत, पानी आदि की व्यवस्था कृषक द्वारा स्वतः किये जाने के कारण इस पर होने वाला व्यय सम्मिलित नहीं किया गया है।
i	प्लास्टिक शीट (नर्सरी डालने के लिए) 15 कि. ग्रा. (@700/-प्रति घंटा)	1500.00	
ii	फील्ड की मताई 6 घंटे (रोटावेटर सहित) (@700/-प्रति घंटा)	3000.00	
	व्यय	4500.00	
	संभावित अन्य आकस्मिक व्यय	500.00	
	कुल व्यय	5000.00	
	कुल व्यय (अ+ब)	7700+5000= 12500 प्रति हेक्टेयर अर्थात् 5080/- प्रति एकड़	
	अनुदान राशि 75% अधिकतम रु. 3800 /- प्रति एकड़		-

टीप:- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से लागू की गई कृषि यांत्रिकीकरण पर सब मिशन योजना अंतर्गत डिमांड स्ट्रेशन घटक में प्रावधान अनुसार जुताई, बुआई, रोपाई आदि पर रु. 2000/- प्रति कार्यमाला अनुसार अनुदान देय है, भारत सरकार के इसी प्रावधान के आधार पर उपरोक्तानुसार प्रस्तावित किया गया है।